<u>न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक</u> <u>मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला -बड़वानी (म.प्र.)</u>

आपराधिक प्रकरण कमांक 189/2015 संस्थित दिनांक—23.04.2015

म.प्र. राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र अंजड़ जिला बड़वानी

..... अभियोगी

वि रू द्व

सुरेश पिता रामिसंह चौहान, आयु—31 वर्ष, निवासी गवला बेड़ी रेहगुन, हाल— मॉडल स्कूल के पास बड़वानी, जिला बडवानी म.प्र.

.....अभियुक्त

राज्य द्वारा — श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. । अभियुक्त द्वारा — श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

--:: **नि र्ण य** ::--(आज दिनांक 06/10/2017 को घोषित)

- 01. आरोपी के विरूद्ध थाना अजंड के अपराध क्रमांक 355/14 के आधार पर दिनांक 31.12.2014 को समय रात्रि 8:00 बजे ग्राम सांगवी खेड़ा ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में फरियदी मनीष और वहां पर उपस्थित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हिन्दू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मान्तरण के लिये खाने—कपड़े की व्यवस्था एवं पैसे देना का प्रलोभन के संबंध में धारा—3/4 म.प्र. धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का अपराध विचारणीय है।
- 02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था । प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि फरियादी ने आरोपी राजीनामा प्रस्तुत किया था किन्तु अशमनीय प्रकृति का अपराध होने से उक्त राजीनाम निरस्त किया गया।
- 03. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 31.12.14 को फरियादी मनिष ने थाना अंजड में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि रात लगभग 08:00 बजे वह अपने साथी रिवन्द्र यादव कुणाल के साथ ग्राम तलवाडा बुजुर्ग मोटरसाईकिल से जा रहा था। रास्ते में सांगवी खेड में एक टेंट लगा था तथा कुछ आदिवासी वहां पर खड़े थे तथा एक व्यक्ति लोगों को प्रवचन देकर समझा रहा था कि वे लोग ईसु की शरण में आ जाये उसके हाथ में काले रंग के बैंग में रखी हुई पुस्तक थी जिसमें से पढ़कर वह वहां आदिवासियों को प्रवचन दे रहा था कि वे लोग हिन्दु धर्म छोड़कर ईसाई बन जायेंगे तो वह कभी बीमार नहीं होगे। वह उनके लिये खान कपड़े की व्यवस्थ भी कर देगा वह व्यक्ति भोले—भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर हिन्दु धर्म से ईसाई धर्म में परिर्वतन कराने की कोशिश कर रहा था उसने अपने साथियों की मद्द से उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश पिता रामसिंह चौहान निवासी मॉडल स्कूल के पास बड़वानी का होना बताया।जिसे अपने साथियों के साथ पकड़ कर थाने लाया। मनीष की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में उक्त अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके आधिपत्य से काले रंग के बेग में पूरानी बाईबिल एक मोबाईल फोन जप्त किया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा घटना स्थल का नक्शा मौका बनाकर विवेचना

पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

04. उक्त अनुसार आरोपी के विरूद्ध की धारा—3 / 4 म.प्र. धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का के अंतर्गत आरोप विरिचत किये जाने पर आरोपी द्वारा आरोप को अस्वीकार किया गया है एवं अपना विचारण चाहा है। द.प्र.सं. की धारा—313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपी द्वारा समस्त तथ्यों से इन्कार किया गया है, लेकिन बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

05. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय है :--

कमांक	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने दिनांक 31.12.2014 को समय रात्रि 08:00 बजे ग्राम सांगवा खेडा में वहा उपस्थित अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तिों का हिन्दु धर्म से ईसाई धर्म में धर्मान्तरण के लिये खाने कपडे की व्यवस्था एवं पैसे देने का प्रलोभन दिया ?

-:: निष्कर्ष के कारण ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

- 06. मनीष अ.सा.01 का कथन है कि वह उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। घटना कब की है उसे नहीं मालूम। उसके सामने आरोपी ने कोई भी घटना कारित नहीं की थी। वह लगभग ढाई वर्ष थाना अंजड पर गांव के लोगों के साथ आया था तब पुलिस ने उसकी ओर गांव के लोगों के कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने प्रदर्श पी—1 और प्रदर्श पी—2 के जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर है। इस साक्षी को पक्ष विरोधी होषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि रात लगभग 08:00 बजे वह रविन्द्र, कुणाल के साथ मोटरसाईकिल से जा रहा था रास्ते में आरापी टेंट लगाकर आदिवासियों को हिन्दु धर्म छोडकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिये प्रलोभन दे रहा था। साक्षी ने सुझाव से इंकार किया कि आरोपी को पकडकर उसका नाम पता पुछा और उसे अंजड थाने के कर आया। साक्षी ने आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट लिखाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।
- 07. शेष अभियोजन साक्षीगण रविन्द्र (अ.सा.2) एवं कुणाल (अ.सा.4) भेरू अ.सा.06 ने भी अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है । उक्त साक्षियों को पक्ष विरोधि घोषित कर पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया यहा तक कि पुलिस को कोई कथन देने से भी इंकार किया है।
- 08. सुरेन्द्र कनेश अ.सा० 05 ने दिनाक 31.12.2014 को थाना अंजड में रात्रि लगभग 09:00 बजे फरियादी मनीष और साक्षी रिवन्द्र और कैलाश द्वारा आरोपी को पकड़कर थाने लाकर उसके विरूद्ध आदिवासी लोगों को हिन्दु धर्म से ईसाई धर्म में परिर्वतन करने के लिये प्रेरित करने के संबंध में प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराने ओर उसके जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किया। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आरोपी के कब्जे से साक्षियों के समक्ष एक बाईबिल पुस्तक और एक स्पाईस कंपनी का काले रंग का मोबाईल प्रदर्श पी—4 के अनुसार जप्त की है जो कि आर्टकल एक व आर्टकल दो है। उसने आरोपी को ग्रिरफफ्तार किया था तथा फरियादी की निशादेही पर नक्शा मौका प्रदर्श पी—2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये

//03// <u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 189/2015</u>

गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी अंजड का निवासी है। उसके आरोपी का ईसाई जाति का होने का प्रमाण पत्र नहीं लिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि किसी आदिवासी ने उसे घटना के सबंध में कोई आवेदन नहीं दिया था। लेकिन साक्षी ने सुझाव से इंकार किया कि उसने आरोपी के विरूद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

- सुंदरलाल गुप्ता अ.सा.03 ने दिनांक 22.04.15 को बड़वानी कलेक्टर श्री रविन्द्र सिंह द्वारा थाना अंजंड के उक्त अपराध क 355 / 14 में आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में प्रदर्श पी-7 का पत्र प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया है कि दिनांक को उसे प्रदर्श पी-7 का पत्र टाईप करवाया था।
- ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का फरियादी एवं साक्षीगण पक्ष विरोधी रहे तथा उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया यहां तक कि, आरोपी को पहचानने एवं रिपोर्ट लिखाने से भी इंकार किया तथा फरियादी ने आरोपी से राजीनामा किया गया है, ऐसी स्थिति आरोपी के विरूद्ध कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा उसके विरूद्ध कोई निष्कष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है ।
- उक्त विवेचना के फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध धारा-3/4 म.प्र. धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है । अतः यह न्यायालय आरोपी सुरेश पिता रामसिंह चौहान,आयु—31 वर्ष, निवासी गवला बेड़ी रेहगुन, हाल- मॉडल स्कूल के पास बड़वानी, जिला बड़वानी म.प्र. को उक्त धारा के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।
- आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 12.
- आरोपी का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का 13. प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बाइबिल एवं काला बैंग एवं स्पाईज कंपनी का मोबाईल आपील अवधि बाद आरोपी को दिया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।

सही / – अंजड, जिला बडवानी म.प्र.

सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) (श्रीमती वंदना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बडवानी म.प्र.